

एम.एम.एस. इन्वेस्टमेंट्स, मदुरै और अन्य

बनाम

वी. वीरप्पन और अन्य

11 अप्रैल 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्तिगण]

*विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963:*

धारा 16(ग)-अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद-तत्परता और रजामंदी की प्रतिरक्षा-वाद डिक्रीत किया गया-तत्पश्चात वाद संपत्ति विभिन्न व्यक्तियों को बेच दी गई और अपील दायर की गई-अभिनिर्धारित: हस्तांतरण (हक-अंतरण) के बाद न्यायनिर्णयन के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या क्रेता बिना सूचना के मूल्यवान प्रतिफल के लिए एक सद्भावी क्रेता था-तत्परता और रजामंदी का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है-इसलिए, अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होता है।

उत्तरदाता संख्या 1 ने उत्तरदाता संख्या 2 से 9 के विरुद्ध अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद दायर किया। वाद डिक्रीत किया गया। हालांकि, प्रतिवादी-उत्तरदाता ने उस भूमि को बेच दिया जो वाद की विषय-वस्तु थी। प्रतिवादी 1 से 5 ने वाद में निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील दायर की। क्रेताओं ने अपील में अपीलकर्ता 6 से 9 के रूप में पक्षकार बनाए जाने के लिए एक आवेदन दायर किया। तत्परता और रजामंदी की प्रतिरक्षा पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई। एकल न्यायाधीश ने यह संप्रेक्षित किया कि अपीलकर्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(ग) के तहत उपबंधित तत्परता और रजामंदी की प्रतिरक्षा को छोड़कर अपील के गुण-दोष पर कोई भी मुद्दा उठाने पर कोई रोक नहीं थी। अंततः, खंडपीठ द्वारा पक्षकार बनाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और अपील को गुण-दोष के आधार पर तय करने का निर्देश दिया गया। व्यथित होकर, क्रेताओं ने वर्तमान अपील दायर की।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि तत्परता और रजामंदी से संबंधित दलील अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में उठाई जा सकती है; और चूंकि क्रेता विक्रेताओं के

वाद के स्थान पर आ गए हैं, इसलिए तत्परता और रजामंदी की दलील का सहारा लिया जा सकता है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 तत्परता और रजामंदी की दलील पर सवाल उठाना एक ऐसी अवधारणा है जो किसी अनुबंध (करार) से संबंधित है। हस्तांतरण (हक-अंतरण) के बाद, न्यायनिर्णयन के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या क्रेता बिना सूचना के मूल्यवान प्रतिफल के लिए एक सद्भावी क्रेता था, और तत्परता और रजामंदी का प्रश्न वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 का प्रावधान लागू नहीं होता है। एक बार हस्तांतरण (हक-अंतरण) हो जाने पर, अवधारणा भिन्न होगी और प्राथमिक अनुतोष केवल रद्दीकरण का ही हो सकता है। [कंडिका 6] (35-बी-सी)

*राम अवध (मृत) विधिक प्रतिनिधियों एवं अन्य बनाम अच्छैबर दुबे एवं अन्य, [2000]*

2 एससीसी 428 लागू न होने योग्य अभिनिर्धारित।

1.2 इस वर्तमान मामले में, क्रेताओं को यह सिद्ध करना था कि वे बिना सूचना के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावी क्रेता थे। तत्परता और रजामंदी का पहलू उन्हें कोई अनुतोष नहीं देगा। [कंडिका 8] (35-डी -इ)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : वर्ष 2007 की दीवानी अपील संख्या 418

मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 1999 के लेटर पेटेंट अपील संख्या 211 में दिनांक 25.01.2000 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

वर्ष 2001 की दीवानी अपील संख्या 419

अपीलकर्ताओं की ओर से के.के. मणि और के.बी. संदीप।

उत्तरदाताओं की ओर से वी. प्रभाकर, वी. सुब्रमणि और रेवती राघवन।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

डॉ. अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति, वर्ष 2001 की दीवानी अपील संख्या 419

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। अपील वाद संख्या 796/1987 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 2.11.1999 के आदेश की सत्यता पर सवाल उठाते हुए लेटर पेटेंट अपील दायर की गई थी। यह आदेश अपील में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई एक प्रारंभिक आपत्ति पर पारित किया गया था।

2. संक्षेप में, पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

3. उप-न्यायालय, मदुरै की फाइल पर मूल वाद संख्या 247/1981 प्रथम उत्तरदाता वीरप्पन द्वारा दिनांक 23.1.1978 के विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए दायर किया गया था। उत्तरदाता 2 से 9 को संपत्ति के स्वामियों के रूप में वाद में पक्षकार बनाया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि स्वामियों ने उनके साथ एक अनुबंध किया था और चूंकि अनुबंध का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए वाद दायर किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किए जाने के बाद, प्रतिवादियों ने अपने मुख्तारनामा के माध्यम से वाद की विषय-वस्तु सहित संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा कुछ अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बेच दिया जो वर्तमान अपीलकर्ता हैं। इसी बीच, प्रतिवादी 1 से 5 ने मूल वाद संख्या 247/1981 में निर्णय और डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी विविध आवेदन संख्या 796/1987 में अपील दायर की और वर्तमान अपीलकर्ताओं ने उत्तरवर्ती क्रेता होने के नाते अपील में स्वयं को अपीलकर्ता 6 से 9 के रूप में पक्षकार बनाने के लिए दीवानी विविध आवेदन संख्या 3707/1989 इस आधार पर दायर की कि मूल अपीलकर्ता 1 से 5, जो कि भूतपूर्व स्वामी थे, प्रथम उत्तरदाता के साथ मिलीभगत करने का प्रयास कर रहे थे। अपीलकर्ता 1 से 5 ने चक्रपाणि और सेथुरमन नामक व्यक्तियों के पक्ष में दिए गए अपने मुख्तारनामा को वापस लेने के लिए दीवानी विविध आवेदन संख्या 4388/1990 दायर की। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकार बनाए जाने की मांग करने वाले वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दीवानी विविध आवेदन संख्या 3707/1989 को खारिज कर दिया और दिनांक 28.6.1990 के आदेश द्वारा दीवानी विविध आवेदन संख्या 4388/1990 को स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ताओं ने दीवानी विविध आवेदन संख्या 3707/1989 को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध लेटर पेटेंट अपील संख्या 113/1990 दायर की और दीवानी विविध आवेदन संख्या 4388/1990 को स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति भी मांगी। लेटर पेटेंट अपील और अपील करने की अनुमति मांगने वाली दीवानी विविध आवेदन संख्या 9570/1990 दोनों का निस्तारण दिनांक 28.3.1990 के एक साझा आदेश द्वारा किया गया। लेटर पेटेंट अपील संख्या 113/1990 को स्वीकार कर लिया गया और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को अपील में अपीलकर्ता 6 से 9 के रूप में पक्षकार बना लिया गया तथा अपील वाद संख्या 796/1987 को भी गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

4. उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करने के इच्छुक हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 (c) के तहत उपबंधित तत्परता और रजामंदी की प्रतिरक्षा को छोड़कर, अपील में विचार के लिए अपील के गुण-दोष पर कोई भी मुद्दा उठाने के लिए अपीलकर्ताओं पर कोई रोक नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील तदनुसार आदेशित की जाती है। कोई खर्चा नहीं।

फलस्वरूप, संबद्ध दीवानी विविध आवेदन खारिज की जाती है।

(स्वरेखांकित)

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में तत्परता और रजामंदी से संबंधित दलील उठाई जा सकती है। इस संबंध में इस न्यायालय के एक निर्णय *राम अवध (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य बनाम अछैबर दुबे एवं अन्य*, [2000] 2 एससीसी 428 पर गहरा भरोसा जताया गया है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय का अपना यह दृष्टिकोण न्यायसंगत नहीं था।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

7. तत्परता और रजामंदी की दलील पर सवाल उठाना एक ऐसी अवधारणा है जो किसी अनुबंध से संबंधित है। हस्तांतरण (बिक्री) के बाद तत्परता और रजामंदी का प्रश्न वास्तव में प्रासंगिक नहीं रह जाता है। इसलिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'अधिनियम') का प्रावधान लागू नहीं होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राम अवध के मामले (ऊपर उल्लिखित) का निर्णय एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां केवल एक अनुबंध था। हस्तांतरण के बाद, केवल इसी प्रश्न का न्यायनिर्णयन किया जाना बाकी रह जाता है कि क्या क्रेता बिना किसी सूचना के मूल्यवान प्रतिफल का एक सद्भावी क्रेता था। वर्तमान मामले में केवल इसी मुद्दे का न्यायनिर्णयन किया जा सकता है कि क्या अपीलकर्ता बिना किसी सूचना के मूल्यवान प्रतिफल के सद्भावी क्रेता थे। यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता तत्पर और रजामंद थे, वास्तव में कोई मायने नहीं रखता है। *राम अवध के मामले* (उपरोक्त) में एक पूर्ण विक्रय के

प्रभाव का प्रश्न शामिल नहीं था। इसलिए, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, उस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है। एक बार हस्तांतरण हो जाने के बाद अवधारणा बदल जाएगी और प्राथमिक उपचार केवल विखंडन ही हो सकता है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि क्रेता विक्रेता के स्थान पर आ जाते हैं (उनके अधिकारों को ग्रहण कर लेते हैं), इसलिए तत्परता और रजामंदी के प्रश्न का लाभ उठाया जा सकता है। यह दलील स्पष्ट रूप से सारहीन है क्योंकि क्रेताओं को यह सिद्ध करना था कि वे बिना किसी सूचना के मूल्यवान प्रतिफल के सद्भावी क्रेता हैं। तत्परता और रजामंदी का पहलू उन्हें कोई अनुतोष नहीं देगा। यह स्थिति होने के कारण, अपील गुणहीन है और खारिज की जाती है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

*वर्ष 2001 की दीवानी अपील संख्या 419*

9. वर्ष 2001 की दीवानी अपील संख्या 418 के खारिज होने के आलोक में, इस अपील में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

आर.पी.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।